बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना प्रारूप

एस0 ओ0– दिनांक– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा–5 की उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप धारा– (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा–5 की उप धारा–1 के खण्ड–(बी) के अधीन अधिसूचित प्रस्ताव पर प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कुछ कोटि के कर्मचारियों के लिए श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या–**1894,1895** दिनांक–**10.06.2022** में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करते हैं जैसा कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ–3 में उक्त अनुसूची के स्तम्भ–2 में तत्संबंधी प्रतिवष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के सामने दर्शायी गयी है, सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजन में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतेय होगी।

2. इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा–4 की उप–धारा (1) के खण्ड–(III) के अन्तर्गत होगी।

3. **यह अधिसूचना दिनांक–01 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगी।**

अनुसूची– I

क्र0 सं0 अनुसूचित नियोजनों का नाम

1. सामान्य नियोजन (69 नियोजन)

1. कॉ– ऑपरेटिव सेक्टर
2. अल्मुनियम उद्योग
3. खंडसारी उद्योग
4. केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग
5. साबुन निर्माण उद्योग
6. सिमेन्ट प्री– स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग
7. एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग
8. ग्लास शीट निर्माण
9. बन्दूक करखाने
10. धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान
11. पेपर उद्योग
12. लौण्ड्रीज एंड वासिंग
13. होजियरी निर्माण
14. सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग

15. चर्म वस्तु निर्माण
16. उड वर्क्स फर्नीचर
17. आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स
18. पेट्रोल एवं डिजल पम्पस
19. फिशरीज
20. खादी एवं ग्राम उद्योग
21. प्राइवेट फेरीज एंड एल.टी.सी
22. जिल्दसाजी उद्योग
23. दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड, कारगेरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
24. इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग
25. सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग
26. प्लाईउड उद्योग
27. बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फलोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग
28. ढ़लाई (फाउन्ड्री) उद्योग
29. रबड़ एवं कम्पाउंड उद्योग
30. बिस्कुट उद्योग
31. कोल ब्रिकेट उद्योग
32. सिलाई उद्योग
33. हैंडलूम उद्योग
34. निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स–
35. डिस्ट्रीलरीज
36. प्लास्टिक उद्योग–
37. मिनरल ग्राईडिंग उद्योग
38. शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर)
39. डेयरीज एवं पॉल्ट्री फॉमश–
40. स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण
41. चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं–
42. चावल मिल, आटा मिल, एवं दाल मिल–
43. तेल मिल–
44. मुद्रणालय
45. किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान–
46. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट–
47. ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले–
48. कोल्ड स्टोरेज–
49. लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दुकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)–
50. बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य–
51. सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्य–
52. बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज–
53. पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें–
54. होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं–
55. अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) – कारखाना एवं प्रतिष्ठान

56. सिनेमा उद्योग–
57. किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान–
58. प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी
59. रिफेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग
60. पौट्रीज–
61. ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शाप्स–
62. हार्ड कोक भट्ठे–
63. कुरियर सेवा
64. चूड़ा मिल
65. इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फर्निसिंग उद्योग
66. अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले)
67. लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
68. जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य
69. सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग

अनुसूची–II

क्र० सं०	कामगारों की श्रेणी	दिनांक–01.12.2016 को निर्धारित न्यनूतम मजदूरी की दरें	दिनांक–01.04.2022 को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	दिनांक–01.04.2022 को निर्धारित न्यनतम मजदूरी की दरें कुल (3+4)	दिनांक–01.04.2022 को निर्धारित के दर पर 15% वृद्वि के पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक–01.09.2022 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	237.00	81.00	318.00	48.00	366.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	247.00	83.00	330.00	50.00	380.00 प्रतिदिन
3	कुशल	301.00	102.00	403.00	60.00	463.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	367.00	125.00	492.00	74.00	566.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	6799.00	2312.00	9111.00	1367.00	10478.00 प्रतिमाह

टिप्पणी :– (क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960–100) 8163.00 जो वर्ष, 2021 द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई–दिसम्बर) का औसत है, पर आधारित है।

(ख) दिनांक 30.09.2022 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 34% शून्यीकरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया गया है ताकि पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में वृद्धि वास्तविक रूप से परलक्षित हो।

(ग) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में परिवर्त्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।

(घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(छ) पुरूष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

स्पष्टीकरण :–(क) **अकुशल कार्य** से अभिप्रेत है जिस कार्य के साधारण प्रचालन में कम या कुछ भी कौशल अथवा अनुभव की अपेक्षा आवश्यक नहीं है।

(ख) **अर्द्धकुशल कार्य** से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कुछ सीमा तक अनुभव के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता आवश्यक है तथा किसी कुशल कर्मचारी की पर्यवेक्षकीय या मार्गनिर्देशन के अधीन कार्य पालन करने में सक्षम है और जिसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षकीय कार्य भी है।

(ग) **कुशल कार्य** से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य पर अनुभव के माध्यम से या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल या सक्षमता आवश्यक है और ऐसा कार्यपालन जिसमें पहल और निर्णय के लिए आवश्यकता होती है।

(घ) **अतिकुशल कार्य** से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें पूर्णता की कोई डिग्री और कतिपय कार्यो के कार्य निष्पादन पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है जिसके अन्तर्गत गहन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय युक्तियुक्त अवधि के लिए व्यवहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित लिपिकीय कार्य है और किसी कर्मकार से इन कार्यो के निष्पादन में आवश्यक कोई निर्णय या विनिश्चय के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व को संभालने की भी अपेक्षा है।

(सं0–5 / एम0डब्लू0–40–15 / 2021 श्र0सं0–3142)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

31.08.22

(गजेन्द्र कमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

एस0 ओ0– दिनांक– का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0–5 / एम0डब्लू0–40–15 / 2021 श्र0सं0–3143)

बिहार राज्यपाल के आदेश,

31.08.22

(गजेन्द्र कमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

DRAFT NOTIFICATION

S.O. In exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (11, of 1948) read with sub-section-2 of section-5 of said Act and after having considered all the representations received on the proposal notified under clause (b) sub-section (1) of section- 5 of the said Act and also after consulting to Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to revise the minimum rates of wages fixed by Labour Resources Department vide notification no.- 1894, 1895 dated 10.06.2016 for certain categories of employees employed in the following employments in the State of Bihar as specified in columns-3 of the schedule-II hereto annexed against each such category & employees specified in the corresponding entry in column-2 thereof which shall be payable in the whole of the State of Bihar to such different categories of employees employed in the said employment.

2. The Minimum rates of wages so revised shall be within the meaning of clause (iii) of sub-section-(1) of section-4 of the said Act.

3. This notification shall come into force with effect from the date of 01 September, 2022.

Schedule-I

Sl. No. **Name of Scheduled Employments**

1. General Employment (69 Employment):-

1. Co- operative- Sector
2. Aluminium Industry
3. Khandsari industry
4. Chemical and Pharmaceutical Industry
5. Soap Making Industry
6. Cement Pre-stressed product Industry
7. Asbestos Cement Industry
8. Glass Sheet Industry
9. Gun factories
10. Religious & Social Institution
11. Paper Industry

12.Laundry & washing

13. Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw

14. Manufacture of Sindur & Rang

15. Manufacture of Leather good

16.Wood works & furniture

17.Ice Cream and Cold Drinks

18.Petrol and Diesel Pump

19.Fisheries

20.Khadi and Village Industries

21.Private Ferries & LTC

22.Book binding Industry

23.Dafti Card Board, Mill Board Paper Board corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory.

24.Electronics Industry

25.Cement Hume pipe, Electric pole and railway Sleeper manufactures Industry

26.Plywood Industries

27.Electric and other type of Bulbs and Florence tubes

28.Foundry Industries

29.Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture

30.Biscuit Industry

31.Coal briquette Industry

32.Tailoring Industry -

33.Handloom Industry

34.Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic

35.Distilleries

36.Plastic Industries

37.Mineral Grinding Industry

38.Glass Industries (excluding glass sheet)

39.Dairies and Poultry Farms

40.Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design

41.Tanneries Leather Technology

42.Oil Mills

43.Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills

44.Printing Press

45.Any Shops and establishment

46.Public Motor Transport

47.Any woollen carpet making or shawl weaving establishment.

48.Coal Storage

49.Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.)

50.Dam Construction & Irrigation

51.Construction or Manufactory of Road or in Building Construction

52.Bakeries and Confectioneries

53.Shops selling cooked food stuff

54.Hotels Eating House and Restaurants.

55.Mica work (Factory & Establishment excluding Mine)

56.Cinema Industry

57.Any University, Educational, Research or cultural institutions.

58.Private Security

59.Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry

60.Potteries

61.Automobile Engineering Shops

62.Hard Coke Industry

63.Currier Service

64.Frittered Rice

65.Electro Casting and Metal Furnishing

66.Engineering Industries (Employment more than 50 workers)

67.Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc., works

68.Jute Industry & Similar works

69.Information Technology

Schedule-II

Sl No.	Categories of Workers	Minimum Rates of Wages as on date 01.12.2016	V.D.A Payable as on date 01.04.2022	Minimum Rates of Wages as on date 01.04.2022 (3+4)	15% Existing on Minimum Wages Rate	Fixed Minimum Rates of Wages w.e.f 01.09.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Unskilled	237.00	81.00	318.00	48.00	366.00 Perday
2	Semi skilled	247.00	83.00	330.00	50.00	380.00 Perday
3	Skilled	301.00	102.00	403.00	60.00	463.00 Perday
4	Highly Skilled	367.00	125.00	492.00	74.00	566.00 Perday
5	Supervisory/ Clerical	6799.00	2312.00	9111.00	1367.00	10478.00 Per month

Note :- (a) The minimum rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 8163.00 which is the average of the indices of the Second half of the year, 2021 (July-December)

(b) Minimum wages has been revised on the suggestion made by the Minimum wage advisory board on 23.03.2022 by adding 15% additional after the 34% neutralization in the consumer price index, so that actual wages may increase.

(c) Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26.

(d) The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days.

(e) An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.

(f) Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature.

Explanation :-

(a) "**Unskilled work**" means work which involve simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) **"Semi-skilled" work** means work which involves some degree of skill of competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory workers.

(c) **"Skilled works"** means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

(d) **"Highly Skilled"** means work which call for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks including clereical work acquired through intensive technical or professional training or practical works experience for certain reasonable period and also requires of a work to assume full responsibility for the judgment or decisions involved in the execution of these tasks.

(No.-5/M.W-40-15/2021 L & R - 3142)

By order of the Governor of Bihar,

31.08.22

(Gajendra Kumar Mishra)

Joint Secretary.

ज्ञापांक–5/एम0डब्लू–40–16/2021श्र0सं0– 3143 पटना, दिनांक– 31/8/22

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

31.08.22

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/एम0डब्लू–40–16/2021श्र0सं0– 3143 पटना, दिनांक– 31/8/22

प्रतिलिपि– निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरों, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली /मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0सहित) निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

31.08.22

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/एम0डब्लू–40–16/2021 श्र0सं0– 3143 पटना, दिनांक– 31/8/22

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह–अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना–01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना /उप कुलपति, बिहार विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने–अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

31-08-22

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5 / एम0डब्लू–40–16 / 2021 श्र0सं0– 3143 पटना, दिनांक– 31/8/22

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31-08-22

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।